

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*185  
उत्तर देने की तारीख 02.12.2019

**पाचवीं और छठी अनुसूचियां**

**\*185. श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है जहां संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूचियों को लागू किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;  
(ख) क्या उक्त अनुसूचियों को दादरा और नगर हवेली में लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और  
(ग) यदि हां, तो इन अनुसूचियों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

**जनजातीय कार्य राज्य मंत्री  
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(क): भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1)के तहत पांचवीं अनुसूची के भाग ग के प्रावधान के अनुसार संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में 97 जिलों (34 पूर्ण और 63 आंशिक रूप से) में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित जिलों की राज्य-वार सूची युक्त विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

जनजातीय क्षेत्रों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान करता है। वर्तमान में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के दस जिले जनजातीय क्षेत्र घोषित किये गये हैं। भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के रूप में घोषित जिलों की सूची का विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को भारत के संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत क्रमशः अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की घोषणा के लिए संघ राज्य-क्षेत्र दादर और नगर हवेली से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग): उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुलग्नक-I

भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों में शामिल जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. श्रीकाकुलम (आंशिक रूप से) * 2. विजयनगरम (आंशिक रूप से) * 3. विशाखापट्टनम (आंशिक रूप से) 4. पूर्व-गोदावरी (आंशिक रूप से) 5. पश्चिम- गोदावरी (आंशिक रूप से)
2	तेलंगाना	1. खम्मम (आंशिक रूप से) * 2. वारंगल (आंशिक रूप से) 3. आदिलाबाद (आंशिक रूप से) 4. महबूब नगर (आंशिक रूप से)
3	छत्तीसगढ़	1. सरगुजा (पूरी तरह से) 2. कोरिया (पूरी तरह से) 3. बस्तर (पूरी तरह से) 4. दंतेवाड़ा (पूरी तरह से) 5. कांकेर (पूरी तरह से) 6. बिलासपुर (आंशिक रूप से) 7. कोरबा (पूरी तरह से) 8. जसपुर (पूरी तरह से) 9. रायगढ़ (आंशिक रूप से) 10. दुर्ग (आंशिक रूप से)

		11. राजनांदगांव (आंशिक रूप से) 12. रायपुर (आंशिक रूप से) 13. धमतरी (आंशिक रूप से)
4	गुजरात	1. सूरत (आंशिक रूप से) 2. भरूच (आंशिक रूप से) 3. खतरे (आंशिक रूप से) 4. वलसाड (आंशिक रूप से) 5. पंच महल (आंशिक रूप से) 6. वडोदरा (आंशिक रूप से) 7. साबरकांठा (आंशिक रूप से)
5	हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल और स्पीति (पूरी तरह से) 2. किन्नीर (पूरी तरह से) 3. चम्बा (आंशिक रूप से)
6	झारखंड	1. रांची (पूरी तरह से) 2. लाहड़गाँव (पूरी तरह से) 3. गुमला (पूरी तरह से) 4. सिमडेगा (पूरी तरह से) 5. लातेहार (पूरी तरह से) 6. पूर्व- सिंहभूम (पूरी तरह से) 7. पश्चिम - सिंहभूम (पूरी तरह से) 8. सरायकेला-खरसावाँ (पूरी तरह से) 9. साहेब गंज (पूरी तरह से) 10. दुमका (पूरी तरह से) 11. पाकुड़ (पूरी तरह से) 12. जामताड़ा (पूरी तरह से) 13. पलामू (आंशिक रूप से) 14. गढ़वा (आंशिक रूप से) 15. गोड्डा (आंशिक रूप से)
7	मध्य प्रदेश	1. झाबुआ (पूरी तरह से) 2. मांडला (पूरी तरह से) 3. डिंडोरी (पूरी तरह से) 4. बड़वानी (पूरी तरह से) 5. धर (आंशिक रूप से) 6. खरगाँव (आंशिक रूप से) 7. खंडवा (आंशिक रूप से) 8. रतलाम (आंशिक रूप से) 9. बेटूल (आंशिक रूप से) 10. सोनी (आंशिक रूप से) 11. बालाघाट (आंशिक रूप से) 12. होशंगाबाद (आंशिक रूप से) 13. उमरिया (आंशिक रूप से) 14. सिद्धि (आंशिक रूप से) 15. स्योपुर (आंशिक रूप से) 16. शहडोल (आंशिक रूप से) 17. छिंदवाड़ा (आंशिक रूप से)
8	महाराष्ट्र	1. थेन (आंशिक रूप से) 2. स्पष्ट (आंशिक रूप से) 3. धूप (आंशिक रूप से) 4. जल गाँव 5. अहमद नगर (आंशिक रूप से) 6. पुणे (आंशिक रूप से) 7. बंद (आंशिक रूप से) 8. अमरवती (आंशिक रूप से) 9. वायटल (आंशिक रूप से) 10. गढ़चिरोली (आंशिक रूप से) 11. चंद्रपुर (आंशिक रूप से) 12. नंदुरबार (आंशिक रूप से) *
9	ओडिशा	1. मयूरभंज (पूरी तरह से) 2. सुंदरगढ़ (पूरी तरह से) 3. कोरापुट (पूरी तरह से) 4. संबलपुर (आंशिक रूप से) 5. क्यॉंझर (आंशिक रूप से) 6. कोंधमाल (आंशिक रूप से) 7. गंजम (आंशिक रूप से) 8. कालाहांडी (आंशिक रूप से) 9. बालासोर (आंशिक रूप से) 10. गजपति (आंशिक रूप से) * 11. रायगडा (पूरी तरह से) * 12. नवरंगपुर (पूरी तरह से) * 13. मलकानगिरी (आंशिक रूप से) *
10	राजस्थान @	1. बांसवाड़ा 2. डूंगरपुर 3. प्रतापगढ़ 4. उदयपुर (आंशिक रूप से) 5. राजसमंद (आंशिक रूप से) 6. चित्तौड़गढ़ (आंशिक रूप से) 7. पाली (आंशिक रूप से) 8. सिरोंही (आंशिक रूप से)
	कुल	97 जिले (34 पूर्ण और 63 आंशिक रूप से)

\* इंगित करता है कि यह संबंधित राज्य द्वारा राजपत्र अधिसूचना के बाद बनाया गया था।

@ सी.ओ. 114 के रद्द करने के बाद दिनांक 19.5.2018 के सी.ओ के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया गया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (2) के तहत छठी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम
1	असम	उत्तर कछार हिल्स
2		कार्बी आंगलॉग
3		बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र
4	मेघालय	खासी हिल्स
5		जयंतिया हिल्स
6		गारो हिल्स
7	त्रिपुरा	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला
8	मिजोरम	चकमा स्वायत्त जिला
9		मारा स्वायत्त जिला
10		लाई स्वायत्त जिला

\*\*\*\*\*